न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2016 (रा.वि. प्रकरण संख्या 18/2017 B) Gcms No 2016/00159
दायरा तिथि : 06.04.2016
प्राथमिक डिक्री दिनांक: 30.06.2016 फाईनल डिक्री दिनांक 18-10-2022
वादीः–

पेमाराम पुत्र गलाजी जाति सीरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बाबुलाल पुत्र उमारामजी
2. हिम्मतराम पुत्र उमारामजी
3. स्व0 चेनाराम पुत्र चतराजी के कायम मुकाम वारिशानः–
   3/1 रमेशकुमार पुत्र चेनारामजी
   3/2 श्रीमति वदनो पत्नि स्व0 चेनारामजी तमाम जाति से सिरवी
   निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थितिः–

1.श्री गणपतलाल चौधरी...................... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री दुदाराम चौधरी .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से
3. श्री भरत जे. राठौड.............. अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से
4. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार............पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 18-10-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बाली तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1636/3552, 2236, 2237, 2238, 2239, 2259, 2260, 2261 कुल खसरा–08 कुल रकबा 4.75 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम, बंजड व गै.मु. बेरा, गै.मु. ढाणी कुल लगान 74.444 रूपये के सबंध में वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–02 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–03 का 1/4 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की प्रति, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रैस, नजरी नक्शा की प्रति पेश की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दुदाराम चौधरी के माध्यम से ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 03 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड ने जवाबदावा के साथ काऊन्टर क्लेम पेश करते हुये मौजा सरहद सेला पटवार हल्का, धणी में स्थित अन्य राजस्व भूमि खसरा नंबर 362, 373, 356, 357 रकबा क्रमशः 3.05 हैक्टर, 3.38 हैक्टर, 0.02 हैक्टर, 0.12 हैक्टर कुल रकबा 6.57 हैक्टर किस्म चाही दोयम एवं सरहद मौजा बाली में स्थित अन्य राजस्व भूमि खसरा नंबर 190, 191, 193, 194 रकबा क्रमशः 0.01, 0.01, 1.11, 0.50 हैक्टर कुल रकबा 1.69 हैक्टर किस्म चाही प्रथम स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त अविभक्त हिस्सा दर्ज है, जिस भूमि का विभाजन भी नहीं हुआ है। इसलिये काऊण्टर क्लेम के माध्यम से उक्त वर्णित भूमियो के रेकर्डेड सह खातेदारान् को पक्षकार बनाते हुये वादग्रस्त भूमि के साथ इन भूमियो का भी विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण जवाबुल जवाब के लिये लंबित रहते राज्य सरकार द्वारा लोक अदालते चलाने से पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, 2016 केम्प कोर्ट, बाली में दिनांक 30.06.2016 को लोक अदालत में रखी गई। राजस्व लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 ने उपस्थित होकर सहमति प्रस्तुत की गई। तथा साथ ही वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 03 के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड उपस्थित हुये। उपस्थित वादी पक्ष, प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं प्रतिवादी संख्या–03 के अधिवक्ता की उपस्थिति में प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारण के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 को प्रकरण में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 के काऊण्टर क्लेम को स्वीकार किया एवं वादग्रस्त भूमि बाली के खसरा नंबर 1636/3552, 2236, 2237, 2238, 2239, 2259, 2260, 2261 कुल खसरा–08 कुल रकबा 4.75 हैक्टर एवं ग्राम सेला स्थित भूमि खसरा नंबर 362, 373, 356, 357 रकबा 6.57 हैक्टर किस्म चाही दोयम एवं सरहद मौजा बाली में स्थित अन्य राजस्व भूमि खसरा नंबर 190, 191, 193, 194 कुल रकबा 1.69 हैक्टर किस्म चाही प्रथम के अधिकार अभिलेखों में दर्ज सह खातेदारान् के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुती के

पेज लगातार............02

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2015 (रा.वि. प्रकरण संख्या 16/2017 B)Gcms No 2015/00159
अनवान पेमाराम बनाम बाबुलाल वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्देश तहसीलदार, बाली को प्रदत्त करते हुये पत्रावली को निर्णित शुमार करते हुये प्रकरण में विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर नियमानुसार फाईनल डिक्री जारी किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार केम्प 2017 में दिनांक 28.06.2017 को पेश हुई। दिनांक 28.06.2017 को राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादी संख्या 3/1 रमेशकुमार द्वारा प्रस्तुत विभाजन के सबंध में आपत्ति प्रस्तुत की जाने से प्रकरण को उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र के जवाब के लिये रखा गया। अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने से पत्रावली को आपत्ति प्रार्थना पत्र की बहस के लिये रखा गया।
दिनांक 12.07.2021 को आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् दिनांक 30.07.2021 की आदेशिका से प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो के संदर्भ में प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2016 के अनुसार वादी व प्रतिवादी पक्ष की अन्य सभी भूमियो के विभाजन के प्रस्ताव भी प्रस्तुती के निर्देश तहसीलदार, बाली को प्रदान किये गये।
जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2022/847 दिनांक 30.08.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
01	वादी बाबुलाल पुत्र उमाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2239/1 2261/1	0.48 0.49	चा.सो. 0.48 चा.सो. 0.47 जा.सो. 0.02	9.60 9.40 0.14	डार्क ब्लू कलर
		02	0.97			
02	हिम्मतराम पुत्र उमाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2238 2239 2261	0.38 0.10 0.49	जा.सो. 0.17 चा.सो. 0.21 चा.सो. 0.10 चा.सो. 0.45 जा.सो. 0.02	1.19 4.20 2.00 9.40 0.14	ब्राऊन कलर
		03	0.97			
03	पेमाराम पुत्र गलाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2237 2238	0.12 0.85	चा.सो. 0.10 जा.सो .0.02 जा.सो. 0.48 चा.सो. 0.37	2.00 0.14 3.36 7.40	ग्रीन कलर
		02	0.97			
04	रमेश कुमार पुत्र चेनाराम वदनो पत्नि चेनाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2237 2238 2239	0.04 0.39 0.54	चा.सो. 0.04 जा.सो. 0.17 चा.सो. 0.22 चा.सो. 0.54	0.80 1.19 4.40 10.80	स्काई ब्लू कलर
		03	0.97			
05	संयुक्त खातेदारी बदस्तूर जमाबंदी अनुसार	2236 1636/3552 2239 2239 (रास्ता) 2237 (रास्ता) 2238 (रास्ता) 2261 (रास्ता) 2259 2260	0.01 0.28 0.28 0.08 0.02 0.06 0.09 0.01 0.04	गै.मु. ढाणी बंजड चा.सो. जा.सो. चा.सो. जा.सो जा.सो. जा.सो. जा.सो. गै.मु. बेरा गै.मु. सडा	0.28	रैड कलर
		09	0.87			

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला ... (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (रा

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2015 (रा.वि. प्रकरण संख्या 16/2017 B)Gcms No 2015/00159

अनवान पेमाराम बनाम बाबुलाल वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इसके साथ ही प्रतिवादी रमेशकुमार द्वारा पुर्व में प्रेषित पी.डी. रिपोर्ट में दर्ज आपत्ति के सबंध में बिन्दुवार निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की गई:–

1. प्राथमिक डिक्री में दर्ज खसरा नंबर 190, 191, 193, 194 में वादी पेमाराम पुत्र गलाराम का नाम दर्ज नहीं है।
2. पुनः विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी द्वारा खसरा नंबर 2261 में उक्त रास्ता दर्ज नहीं किया गया है।
3. प्राथमिक डिक्री में दर्ज खसरा संख्या 362, 373, 356, 357 कुल रकबा 6.57 हैक्टर में कस्बा बाली के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में उक्त खातेदारो का नाम दर्ज नहीं है।
4. प्रतिवादी द्वारा मौके पर सीमांकन करके प्राथमिक डिक्री तैयार करने हेतु निवेदन किया है, लेकिन वर्तमान में फसल खडी होने से सीमांकन करना संभव नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी पक्ष श्री गणपतलाल चौधरी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। इसके विपरित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–03 श्री भरत जे. राठौड द्वारा बहस में दलील दी गई कि तहसीलदार, बाली प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 को पारित प्राथमिक डिक्री के अनुसार नहीं है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा काऊण्टर क्लेम में उल्लेखित ग्राम सेला पटवार हल्का, धणी स्थित भूमियो खसरा नंबर 362, 373, 356, 357 कुल रकबा 6.57 हैक्टर एवं कस्बा बाली में स्थित अन्य राजस्व भूमियो खसरा नंबर 190, 191, 193, 194 कुल रकबा 1.69 हैक्टर बाबत् विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये, जबकि न्यायालय की प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2016 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके साथ ही विद्वान् वकील प्रतिवादी भरत जे. राठौड ने दलील दी कि जिस भूमि के विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है, वे प्रस्ताव भी कागजी पेश किये है, मौके पर पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के भौतिक तौर पर विभाजन नहीं किया है, जिस तथ्य को भूमिधारी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार करते है कि मौके पर फसल खडी होने से सीमांकन करना संभव नहीं है। इस प्रकार यदि आधी अधूरी रिपोर्ट के आधार पर विभाजन की फाईनल डिक्री जारी होती है तो विभाजन बाबत् न्यायिक सिद्वान्तो की अनदेखी होगी तथा इससे पक्षकारो के मध्य भूमि विभाजन का विवाद खत्म नहीं होकर पक्षकारो में विवाद बढेगे। अतः जब तक मौके पर भौतिक तौर से विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने बाबत् असहमति व्यक्त की।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वाद में वर्णित भूमि बाली के खसरा नंबर 1636/3552, 2236, 2237, 2238, 2239, 2259, 2260, 2261 कुल खसरा–08 कुल रकबा 4.75 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम, बंजड व गै.मु. बेरा, गै.मु. ढाणी कुल लगान 74.444 रूपये के सबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2017 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 28.06.2017 को बहस के लिये रखा गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 3/1 रमेशकुमार द्वारा आपत्ति पेश की गई। जिस आपत्ति को सुनकर न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 30.07.2021 से पुनः विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश तहसीलदार, बाली को प्रदान किये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2022/847 दिनांक 30.08.2022 से पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उक्त रिपोर्ट एवं अपत्तिकर्ता स्वयं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो में यह उल्लेखित हैं कि कस्बा बाली में स्थित अन्य राजस्व भूमि खसरा नंबर 190, 191, 193,194 कुल खसरा–04 कुल रकबा 1.69 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या–02 खातेदार ही दर्ज नहीं है, तथा इन खसराजात की भूमियो में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के साथ में कुल 29 सह खातेदार दर्ज है। तथा इसी प्रकार ग्राम सेला स्थित भूमि खसरा नंबर 362, 373, 356, 357 कुल रकबा 6.57 हैक्टर की भूमियो में वादी व प्रतिवादीगण के साथ अन्य सह खातेदार यथा खीमाराम पुत्र चतराराम व रताराम पुत्र चतराराम भी है, जिससे प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर की गई आपत्तिया तर्क हीन व विधिक प्रावधानो के विपरित तथा सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2022/847 दिनांक 30.08.2022 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में वर्णित भूमि बाली के खसरा नंबर 1636/3552, 2236, 2237, 2238, 2239, 2259, 2260, 2261 कुल खसरा–08 कुल रकबा 4.75 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम, बंजड व गै.मु. बेरा, गै.मु. ढाणी कुल लगान 74.444 रूपये के सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत अग्रांकितानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

कार्यालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//04//

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21 / 2015 (रा.वि. प्रकरण संख्या 16 / 2017 B)Gcms No 2015 / 00159

अनवान पेमाराम बनाम बाबुलाल वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र सं	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयों में)	विशेष विवरण
01	**वादी** बाबुलाल पुत्र उमाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2239 / 1 2261 / 1	0.48 0.49	चा.सो. 0.48 चा.सो. 0.47 जा.सो. 0.02	9.60 9.40 0.14	**डार्क ब्लू कलर**
		02	**0.97**			
02	हिम्मतराम पुत्र उमाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2238 2239 2261	0.38 0.10 0.49	जा.सो. 0.17 चा.सो. 0.21 चा.सो. 0.10 चा.सो. 0.45 जा.सो. 0.02	1.19 4.20 2.00 9.40 0.14	**ब्राऊन कलर**
		03	**0.97**			
03	पेमाराम पुत्र गलाराम जाति सिरवी सा देह खातेदार	2237 2238	0.12 0.85	चा.सो. 0.10 जा.सो. 0.02 जा.सो. 0.48 चा.सो. 0.37	2.00 0.14 3.36 7.40	**ग्रीन कलर**
		02	**0.97**			
04	रमेश कुमार पुत्र सेनाराम वदनो पत्नि सेनाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2237 2238 2239	0.04 0.39 0.54	चा.सो. 0.04 जा.सो. 0.17 चा.सो. 0.22 चा.सो. 0.54	0.80 1.19 4.40 10.80	**स्काई ब्लू कलर**
		03	0.97			
05	संयुक्त खातेदारी बदस्तूर जमाबंदी अनुसार	2236 1636 / 3552 2239 2239 (रास्ता) 2237 (रास्ता) 2238 (रास्ता) 2261 (रास्ता) 2259 2260	0.01 0.28 0.28 0.08 0.02 0.06 0.09 0.01 0.04	गै.मु. ढाणी बंजड चा.सो. जा.सो. चा.सो. जा.सो. जा.सो. जा.सो. जा.सो. गै.मु. बेरा गै.मु. सडा	 0.28	**रैड कलर**
		09	0.87			

तहसीलदार, बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक /मु0340/2022/847 दिनांक 30.08.2022 से प्रेषित रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 74.444 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बाली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(... उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, बाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 18-10-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

पेमाराम पुत्र गलाजी जाति सीरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बाबुलाल पुत्र उमारामजी
2. हिम्मतराम पुत्र उमारामजी
3. स्व0 चेनाराम पुत्र चतराजी के कायम मुकाम वारिशानः–
   3/1 रमेशकुमार पुत्र चेनारामजी
   3/2 श्रीमति वदनो पत्नि स्व0 चेनारामजी तमाम जाति से सिरवी
   निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2015 (रा.वि. प्रकरण संख्या 16/2017 B) Gcms No 2015/00159

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2022/847 दिनांक 30.08.2022 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में वर्णित भूमि बाली के खसरा नंबर 1636/3552, 2236, 2237, 2238, 2239, 2259, 2260, 2261 कुल खसरा–08 कुल रकबा 4.75 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम, बंजड व गै.मु. बेरा, गै.मु. ढाणी कुल लगान 74.444 रूपये के सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत अग्रांकितानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
01	**वादी** बाबुलाल पुत्र उमाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2239/1 2261/1	0.48 0.49	चा.सो. 0.48 चा.सो. 0.47 जा.सो. 0.02	9.60 9.40 0.14	**डार्क ब्लू कलर**
		02	0.97			
02	हिम्मतराम पुत्र उमाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2238 2239 2261	0.38 0.10 0.49	जा.सो. 0.17 चा.सो. 0.21 चा.सो. 0.10 चा.सो. 0.45 जा.सो. 0.02	1.19 4.20 2.00 9.40 0.14	**ब्राऊन कलर**
		03	0.97			
03	पेमाराम पुत्र गलाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2237 2238	0.12 0.85	चा.सो. 0.10 जा.सो .0.02 जा.सो. 0.48 चा.सो. 0.37	2.00 0.14 3.36 7.40	**ग्रीन कलर**
		02	0.97			
04	रमेश कुमार पुत्र चेनाराम वदनो पत्नि चेनाराम जाति सिरवी सा. देह खातेदार	2237 2238 2239	0.04 0.39 0.54	चा.सो. 0.04 जा.सो. 0.17 चा.सो. 0.22 चा.सो. 0.54	0.80 1.19 4.40 10.80	**स्काई ब्लू कलर**
		03	0.97			
05	संयुक्त खातेदारी बदस्तूर जमाबंदी अनुसार	2236 1636/3552 2239 2239 (रास्ता) 2237 (रास्ता) 2238 (रास्ता) 2261 (रास्ता) 2259 2260	0.01 0.28 0.28 0.08 0.02 0.06 0.09 0.01 0.04	गै.मु. ढाणी बंजड चा.सो. जा.सो. चा.सो. जा.सो जा.सो. जा.सो. जा.सो. गै.मु. बेरा गै.मु. सडा	0.28	**रैड कलर**
		09	0.87			

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2015 (रा.वि. प्रकरण संख्या 16/2017 B)Gcms No 2015/00159

अनवान पेमाराम **बनाम** बाबुलाल वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक /मू0अ0/2022/847 दिनांक 30.08.2022 से प्रेषित रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 74.444 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बाली को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-10-22 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री [illegible] आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी बाली (राज.)

[illegible] कलेक्टर एवं पदेन